

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी

: श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या

: 251/2011

वादी :-

श्री सीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) जरिए  
महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक  
व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल  
चौपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी  
देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर  
(राज०)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हंजा बेवा भेरा
2. छोटू पुत्र भेरा
3. उंकार पुत्र भेरा  
जाप्तियान-भांबी
4. बाबु पुत्र धुला कौम-सुथार  
निवासीगण-निम्बेटी (रास-11)  
तह०-जैतारण, (जिला-पाली)
5. तहसीलदार, जैतारण  
तहसील-जैतारण जिला -पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रज्.: 21/10/2011

उपरिथतः

1. श्री चावण्डदान बारहट, अधिवक्ता, वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 13/01/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि० ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम से सरहद मौजा-रास, तहसील जैतारण में स्थापित, कार्यरत एवं उत्पादनरत है। उक्त श्री सीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पब्लिक लि० कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यों के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है, वाद पेश करने हेतु कम्पनी का अधिकार पत्र संलग्न पेश किया है, जो वाद पत्र का एक भाग है। सरहद मौजा-रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण मे वाके आराजी खसरा नम्बर 3164 रकबा 12-00 बीघा किरम बरानी दायम है, जिसमें 11/24 हिस्से का वादी कम्पनी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त भूमि के सह खातेदार काश्तकार हैं। सभी हिस्सेदारों के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है। वादी के 11/24 हिस्से की भूमि यानि 2 बीघा 02 बिस्वा भूमि मौके पर बंटी हुई है व वादी का 11/24 हिस्से पर बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। मगर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप शामिल दर्ज है व नक्शा ट्रेष में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नहीं है। खसरा नम्बर 3164 की भूमि जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सम्वत् 2065 से 2068 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेष की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 3164 की 11/24 हिस्से की भूमि यानि 5 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि मौके पर अलग से बंटी हुई है, वादी

उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

का अलग से कब्जा व काश्त हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को मौके के कब्जे, काश्त, हिस्से एवं खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा करवाने का कहा, मगर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 11.09.2011 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। वादी को अपूर्ण्य क्षति होगी व प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि के लैण्ड होल्डर है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है, उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। विनायवाद दिनांक 11/09/2011 को प्रतिवादी ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के वादी द्वारा तकासमा करवाने का कहने पर मना करने पर बमुकाम-रास द्वितीय में पैदा हुआ व जब तक तकासमा नहीं होगा। तब तक वाद हेतुक वादी को प्राप्त होगा व होता रहेगा व दखलन्दाजी की मंशा जाहिर करने पर बमुकाम-रास-11, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर ग्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है। इस प्रकार माफिक दावा वकील वादी ने वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा पक्षकारानों में किये जाने की ईशतदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री देवाराम कटारिया अधिवक्ता को दिनांक 21/11/2011 से लगातार वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग लेने पर अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी विफल रहने से दिनांक 13/11/14 को अवसर समाप्त किया जाकर इनको बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 13/11/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति संख्या 4 व 5 को बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 21/11/2011 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया तथा मुख्य परीक्षण पर दिनांक 03/12/2014 को Exp 1 व 2 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। अन्य शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने से शहादत वादी बन्द सा0मि0 हैं।



वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण में वादी आराजी खसरा नम्बर 3164 रकबा 12-00 बीघा किरम बारानी दोयम भूमि

**एपबण्ड अधिकारी**  
**बंवारण (वादी)**

ने 11/24 के स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार वर्तमान में दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 के तस्दीक सुदा शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात प्रदर्श Exp 1 से 2 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी उक्त विवादित आराजी की कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा उक्त आराजी में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रेकॉर्ड सरहद मौजा रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण में वादी की खसरा नम्बर 3164 रकबा 12-00 बीघा किरम वारानी दोयम भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जावे। खाता व लगान अलग-अलग कर नेखमबंदी /पत्थरगढ़ी करके खाता व लगान अलग-अलग करते हुए नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 03/12/2014 को पृथक से बनाया जाकर सामिल मिशाल किया गया। बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया गया। प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/14/1226 दिनांक 16/12/14 को वास्ते विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक /राजस्व/15/2274 दिनांक 05/01/2015 के जरिए पेश की, जिसे सा0मि0 किया गया।

वहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। वहस के दौरान वकील, वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/01/2015 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक पत्रांक/14/2188 दिनांक 18/12/2014 के संलग्न सम्पादित विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 की पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वकील वादी ने बंटवाड़ा को सम्पुष्ट कर उक्त बंटवाड़े की स्वीकारोक्ति दी है। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर एवं राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जाना उचित समझते हैं।

**--: आदेश :-**

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 3164 रकबा 12-00 बीघा किरम वारानी दोयम भूमि का बंटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा विस्वा विस्वांसी	किरम	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपडा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) वांगड़ नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3164	4-00-00	वा0दो0	1.00 रू0


**दस्तावेज अधिकारी  
जैतारण (पाली)**


माणकचन्द पुत्र पोकरराम कौम-मेघवाल सा० प्लोट नं० 84 श्री गोपाल नगर मसूदा रोड, ब्यावर, जिला-अजमेर हि० 3/16 छोडु उँकार पि० भेरा कौम-भांबी सा० ढाणी निम्बेटी हि० 3/8 नितिन भाटी पुत्र सुन्दरलाल भाटी कौम-धोबी सा० 17, नवरंग नगर बैंक कोलोनी ब्यावर जिला-अजमेर हि० 3/16 बाबू पुत्र धूला कौम-सुथार सा० ढाणी निम्बेटी हि० 1/4 खातेदार।	3164/1	8-00-00	बा०दो०	2.00 रू०
---	--------	---------	--------	----------

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें।  
वेभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का  
एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काशत में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या  
को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बेनाया जाकर पत्रावलीबद्ध  
किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक  
02/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य  
भण्डार जम्मा हो।



निर्णय आज दिनांक 13/01/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला-पाली (राज०)

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला-पाली (राज०)

**डिक्री बमुकदमें इबतदाई**

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत  
इजलास

:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
:- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

गदी :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए  
महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक  
प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल  
चौपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी  
देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर  
(राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हंजा बेवा भेरा
2. छोट्ट पुत्र भेरा
3. उंकार पुत्र भेरा  
जातियान-भांवी
4. बाबु पुत्र धुला कौम-सुथार  
निवासीगण-निम्बेटी (रास-11)  
तह0-जैतारण, (जिला-पाली)
5. तहसीलदार, जैतारण  
तहसील-जैतारण जिला -पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:251/2011

राजस्व वाद बाबत तकासमा आराजी व  
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री  
चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिव मुद्धई व मिनजानिव मुद्धायलाह पेश  
होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक  
02/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की  
सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रास द्वितीय, पटवार हल्का-रास द्वितीय,  
तहसील-जैतारण मे वाके आराजी खसरा नम्बर 3164 रकबा 12-00 बीघा किरम  
बारानी दोयम भूमि का बंटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया  
जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा विरवा विरवांसी	किरम	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3164	4-00-00	बा0दो0	1.00 रू0
2	माणकचन्द पुत्र पोकरराम कौम-मेघवाल सा0 प्लोट नं0 84 श्री गोपाल नगर मसूदा रोड, ब्यावर, जिला-अजमेर हि0 3/16 छोट्ट उंकार पि0 भेरा कौम-भांवी सा0 ढाणी निम्बेटी हि0 3/8 नितिन भाटी पुत्र सुन्दरलाल भाटी कौम-धोवी सा0 17, नवरंग नगर बैंक कोलोनी ब्यावर जिला-अजमेर हि0 3/16 बाबू पुत्र धूला कौम-सुथार सा0 ढाणी निम्बेटी हि0 1/4 खातेदार।	3164/1	8-00-00	बा0दो0	2.00 रू0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें।  
विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का  
एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या  
1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोकता जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय  
बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना  
मगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता  
दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



**उपखण्ड अधिकारी**  
**बंवाण (पाली)**

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर  
 .....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक' .....-.....को अदा करें ।  
 बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/01/2015 को  
 जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी, जितारण  
 पेंदासण (पाली)  
 (जिला-पाली)

मुखई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	२=००		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	१=००		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	२=००		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	२=००		फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजान:-	७=००		मिजान:-	Nil	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे' डिक्री के जरिए  
 दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।